राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कार्यालय मंडलायुक्त (राजस्व)
संसदीय शाखा,
5, शाम नाथ मार्ग, दिल्ली।

अतारांकित प्रश्न संख्या : 58 राजस्व विभाग

दिनांक 25.02.2019

प्रश्नकर्त्ता का नाम : मान्नीय विधायक श्री मनजिंदर सिंह सिरसा जी

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
क)	1984 सिक्ख दंगा पीड़ित कॉलोनियों की दयनीय स्थिति में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;	राजस्व विभाग द्वारा 1984 सिक्ख दंगा पीड़ित परिवारों को 1997, 2006 एवं 2014 में क्रमशः 3,30,000 रुपये, 3,50,000 रुपये एवं 5,00,000 रुपये की अनुग्रह राशि प्रति मृतक के परिवार/आश्रित को दी गई थी इसके अलावा विस्थापित परिवारों के पर्नवास राशि एवं 168 विधवाओं को 2500 रुपये की मासिक पेंशन प्रदान की जा रही है। तिलक विहार में 1984 के दंगो से पीड़ित कॉलोनी की दयनीय स्थिति के सुधार के लिए डूसिब विभाग द्वारा केवल बाहर का कार्य कराया जाता है। जैसे कि सीढ़ियों की रिपेयर और कॉमन एरिया का रिपेयर आदि। बाकी पलाटों के अंदर का कार्य फ्लैट मालिकों के द्वारा खुद किया जाना है।
ख)	एक अति संवेदनशील दंगे से प्रभावित इन गरीब उजड़े परिवारों को मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित रखने के क्या कारण हैं;	जी नहीं।
ग)	क्या यह सत्य है कि 1984 दंगा पीड़ित कॉलोनियों में रहने वाले परिवारों को बिजली के बिलों का भुगतान न करने के कारण आज भी बिजली काटने तथा मीटर उतार दिये जाने के कारण अंधेरे में जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है;	जी नहीं।
घ)	क्या यह भी सत्य है कि ये परिवार अति गरीब हैं और इनके पास कमाई का कोई नियमित साधन भी नहीं हैं;	जहाँ तक कमाई के नियमित साधन की बात है, ऐसी कोई नीति राजस्व विभाग के अन्तर्गत नहीं है।

ड)	क्या यह सत्य है कि 1984 दंगा पीड़ित कॉलोनियों को फ्री बिजली उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और	ऊर्जा विभाग द्वारा 1984 के दंगा पीड़ितों को दिल्ली सरकार की तरफ से 400 यूनिट बिजली देने का एलान किया गया था। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के पत्र दिनांक 19.01.2017 अनुसार कुल 2274 दंगा पीड़ित परिवारों को मकान आवंटित किये गये थे। बिजली वितरण कम्पनी (बीआरपीएल) ने सूचना दी है कि अब तक 368 उपभोक्ताओं को लाभ मिलना शुरू हो चुका है।
च)	यदि हाँ, तो उसका पूर्ण विवरण क्या है?	

इसकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त कर ली गई है।

(राजीव कुमार)
उप मण्डलीय दण्डाधिकारी (मुख्यालय)/लिंक अधिकारी

RAJEEV KUMAR
Sub Divisional Magistrate (HQ)
Revenue Department
Govt. of NCT of Delhi
5, Sham Nath Marg, Delhi-54